

FORM NO. III

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

फर्द अहकाम
(नियम-26)

जिला अदालत बालोतरा जिला बालोतरा नं. 135 सन 2019
 किरम मुकदमा 130, 131, 136 R.R. Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इतिहासबन्ध जज	नाम व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---

19/11/19

राज्य सरकार की ओर से सरकारी पेशेदार सम्बन्धित।
 वर्तमान प्राणना पत्र अन्तर्गत 130, 131, 136 गू-संज्ञक अधिनियम
 सम्बन्धित नियम 69, 60, 66, 68 गू-अधिलेख नियम 1970 के तहत
 भूमिदाताक तारीखवार पत्रपत्र के द्वारा सम्बन्धित खसरे के
 खातेदाशन के विरुद्ध पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की प्रकरण
 संज्ञक निविदा नवीं रजिस्टर में निष्पत्तीकरण खातेदाशन को नोटिस
 जारी हो पत्रपत्रली वास्तु तामिल/जवाब दिनांक 20/8/19 को पेश
 हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

20/8/19

पत्रपत्रली आज पेश हुई। S.D.O. सम्बन्ध
 अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रपत्रली
 दिनांक 20/8/19 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कुंभाराम

मादारीम

पदमराम

मौबर-राम



अ.नि
रामराम



अ.नि
केवदाराम

28/8/19

पत्रपत्रली पेश हुई। पत्रपत्रली
 प्रारम्भित। पत्रपत्रली में पत्रपत्रली
 हुक्म आस्था के अन्तर्गत अगे
 अगेना पत्र के अन्तर्गत सरहद
 गीजा सरहद नं० 1120, 1121, 1124,
 1125, का विभाजन हेतु सहायक
 कलेक्टर बालोतरा के तहत सन् 1970
 के अन्तर्गत विभाजन किया।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

अदालत
की तारीख

श्रीमान् सहाय

प्राथी 1. 4

जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंमल
शरामद किया गया। पत्तावली व
पत्तावली में सांपन्न दस्तावेजों का
अव्ययन किया गया। बाद संख्या
1190 के निर्णय के अनुसार
तहसीलदार को तरगीम व राजस्व
रेकॉर्ड में अंमल शरामद किया
जाना चाहिए एवं निर्णय के
अनुसार एश ट्रेस में तरगीम की
जावे। निर्णय से असहमत होने
वाले खातेदार को बाद संख्या
1190 के निर्णय की अपील R.M.I
में की जानी चाहिए।

अतः प्राथी 311 पेश करना
पत्र स्विकृत होने योग्य से स्विकृत
किया जाता है।

पत्तावली मैसाय सुभार होकर
शासित दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा